मेसर्स ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स

प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

केरल राज्य

(सिविल अपील संख्या 3454/2011)

माननीय उच्चतम न्यायालय का सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

22 अप्रैल 2021

पीठः माननीय सूर्याकांत एवं अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण

अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्ति

1. अपीलार्थियों को मुवत्तुपुझा थोड़ुपुझा और मुवत्तुपुझा अंगमाली के दो हिस्सों के लिए राज्य राजमार्ग के उन्नयन के लिए अनुबंध केरल राज्य के द्वारा दिया गया। इस संबंध में 7 नवंबर, 2002 को अनुबंध निष्पादित किया गया। यह अपील मुख्य रूप से कुछ शीर्षो के तहत अपीलार्थियों को भुगतान करने से संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले कुछ मद्दों पर विवाद के कारण उत्पन्न हुई। हाँलाकि, वर्तमान कार्यवाही में विवाद का एकमात्र बिन्दु जिस पर हमारे समक्ष तर्क प्रस्तुत किया है कि विषय-शीर्ष पर विलंबित भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने के लिए अपीलार्थियों की पात्रता, जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा उक्त समझौता की शर्तो के अनुसार स्थानीय मुद्रा में किया जाना था। अनुबंध के उपबन्ध के तहत विवाद समीक्षा बोर्ड (डी. आर. बी.) से समाधन करना था जिसे पहली बार में सिफारिशे करनी थी। यदि सिफारिशे किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं थे, तो ऐसे असहमत पक्ष को एक निर्दिष्ट समय के भीतर मध्यस्थता शुरू करने के लिए नोटिस देना आवश्यक था और उसके बाद विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाना था। जहाँ तक उन विवादों का संबंध है जिनमें से यह अपील उत्पन्न होती है,

पक्षों के बीच तीन मामलो पर विवाद उत्पन्न हुए, जिन्हें डी. आर. बी. को सिफारिशो के स्तर पर हल नहीं किया जा सका। उन विवादों को तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") को भेजा गया था। हम पहले ही इस अपील में शामिल विवाद के दायरे का उल्लेख कर चुके हैं। इस विवाद को अब से इस निर्णय में विलंबित भुगतान पर विवाद के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर अपीलकर्त्ताओं के पक्ष में निर्णय पारित किया और अनुबंध के तहत देय स्थानीय मुद्रा घटक के सम्बन्ध में विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। हालँकि, यह बहुमत का निर्णय था, सर्वसम्मत नहीं क्योंकि न्यायाधिकरण में से एक सदस्य ने अपनी असहमति व्यक्त की थी। इस निर्णय के आगामी पैराग्राफ, जब भी हम "अधिनिर्णय" अभिव्यक्ति का उल्लेख करेगे , तो इसका अर्थ केवल बहुमत अधिनिर्णय होगा। न्यायाधिकरण के निर्णय पर केरल राज्य द्वारा एर्नाकुलम (मध्यस्थता न्यायालय) में जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 अधिनियम) की धारा 34 के तहत आवेदन देकर आक्रमण किया गया। यह आवेदन अंशतः स्वीकृत किया गया। विलंबित भुगतान पर ब्याज के बिंदु पर अपीलकर्त्ताओं के पक्ष में न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द कर दिया गया। मध्यस्थता न्यायालय ने दो अन्य बिन्दुओं पर भी अपना निर्णय सुनाया , लेकिन ये बिंदु पर हमारे सामने निवेदन नहीं किया गया, इसीलिए हम इस निर्णय में उन पर विचार करना जरूरी नहीं समझे हैं। मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय को केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपील में पुष्ट किया गया था। यह अपील 17 सितंबर , 2009 को दिए गए उच्च न्यायालय को उक्त खंडपीठ के निर्णय के विरूद्ध है। अपीलार्थी चाहते हैं कि न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय विलंबित भुगतान पर ब्याज के उनके दावे को बहाल करने की अनुमति देने वाले न्यायाधिकरण के निर्णय को बहाल किया जाए।

3. विलंबित अंतरिम भुगतान पर समझौते के उपखंड 60.8 में ठेकेदार को ब्याज का अधिकार प्रदान किया गया था। इस खंड को पेपरबुक के पृष्ठ 38 में पुनः प्रस्तुत किया गया है और इसमें लिखा हैः

"भुगतान का समय और ब्याज।"

(ए) इस खंड या अनुबंध की किसी अन्य शर्त के अनुसार इंजीनियर द्वारा जारी किए गए किसी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के तहत ठेकेदार को देय राशि, खंड के अधीन नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के निम्नानुसार भुगतान की जाएगी।

(i) (ए) अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों के मामले में ठेकेदार के मासिक वितरण को उपखंड 60.1 के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत करने के 42 दिनों के भीतर। बशर्ते कि यदि इंजीनियर का अंतरिम प्रमाणपत्र उक्त 42 दिनों के भीतर जारी नहीं किया गया है , तो नियोक्ता ठेकेदार के मासिक विवरण में दर्शाई गई राशि का भुगतान करेगा और किसी भी विसंगति को ठेकेदार को अगले भुगतान में जोड़ा या घटाया जाएगा और (बी) ठेकेदार द्वारा ऐसे समय में प्रस्तुत किए गए किसी भी मासिक विवरण के मामले में जब बैंक का ऋण या क्रेडिट (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान का हिस्सा किया जा रहा है) ऐसे मासिक विवरण प्रस्तुत करने के 14 दिनों के भीतर निलंबित कर दिया जाता है। बशर्ते कि यदि इंजीनियर का अंतरिम प्रमाणपत्र उक्त 14 दिनों के भीतर जारी नहीं किया गया है, तो नियोक्ता ठेकेदार के मासिक विवरण में दर्शायी गयी राशि का भुगतान करेगा और किसी भी विसंगति को ठेकदार को अलगे भुगतान में जोड़ा या घटाया जाएगा।

(ii) (ए) उपधारा 60.13 के अनुसार अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के मामले में अंतिम विवरण और लिखित निर्वहन के बाद 84 दिनों के भीतर प्रमाणिकरण के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत किया गया है और (बी) द्वारा प्रस्तुत अंतिम विवरण के मामले में ठेकेदार ऐसे समय में जब बैंक का ऋण या क्रेडिट जिसमें से ठेकेदार को भुगतान का कुछ हिस्सा निलंबित किया जा रहा है या जिसके लिए (ii) (ए) के तहत भुगतान निलंबन नोटिस भुगतान की अधिसूचना की तारीख के 63 दिनों के बाद देय हो जाता है उपखंड 69.6 (डी) के अनुसार निलंबन की अधिसचूना की तारीख के बाद 63 दिनों के भीतर किया जाएगा , बशर्ते कि यदि इंजीनियर का अंतिम भुगतान

प्रमाणपत्र उक्त 63 दिनों के भीतर जारी नहीं किया गया है , तो नियोक्ता को इसमें दर्शायी गई निर्विवाद राशि का भुगतान करना होगा।

(बी) नियोक्ता द्वारा बताए गए समय के भीतर भुगतान करने में विफलता की स्थिति, में नियोक्ता ठेकेदार को उस तिथि से भुगतान न की गई सभी रकमों पर बोली लगाने के लिए परिशिष्ट में बताई गई दर पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेगा। इसका भुगतान उन मुद्राओं में किया जाना चाहिए जिनमें भुगतान देय है। उपखंड के प्रावधान खंड 69 या अन्यथा के तहत ठेकेदार की पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।

4. बोली के परिशिष्ट का प्रासंगिक प्रावधान जिसकी सामग्री न्यायाधिकरण के समक्ष व्याख्या के लिए आई और उसके बाद दो न्यायिक मंचों के समक्ष निर्धारित की गईः "अनुलग्नक- पी-3 केरल राज्य परिवहन परियोजना खंड III खंड 6: बोली पृष्ठ का परिष्टि" 7.8 सामग्री की उत्पत्ति 60.3(ए) (वी) आइटम उत्पत्ति मुद्रा और पौधे 60.3 (डी) प्लांट , यूएसए मशीनरी और जर्मनी , या किसी अन्य अमेरिकी डॉलर बिटुमेन और ईरान , थर्मोप्लास्टिक सिंगापुर या अमेरिकी डॉलर पेंट किसी अन्य बोलीदाता को पूरा करने के लिए दरें स्थानीय अवैतनिक रकम मुद्रा में भुगतान 60.8 प्रतिशत ब्याज पर। अन्य देशों के लिए, नीचे तालिका देखें।

मुद्रा (उपखंड 60.1 के अनुसार) लंदन इन्टरबैंक चालु

उधार दर

(लिबोर) प्लस 2 प्रतिशत

यूएसएस करते है

विदेशी मुद्राओं के लिए उपरोक्त ब्याज की आपूर्ति बोलीदाता के द्वारा की जाएगी और ये दरें अनुबंध की औपचारिक रूप देने से पहले स्पष्टीकरण/बातचीत के अधीन हैं।

5. अपीलकर्त्ताओं ने अपने बोली दस्तावेज में स्थानीय मुद्रा में किए जाने वाले भुगतान के लिए ब्याज दर दर्ज करने के लिए जगह छोड़ दी थी। समझौते में ठेकेदार को विदेशी मुद्रा के साथ-साथ स्थानीय मुद्रा में भी भुगतान करने पर विचार किया गया। जहाँ तक विदेशी मुद्रा द्वारा भुगतान का सवाल है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उद्धृत बोली के परिष्टि से स्पष्ट होगा , लंदन इंटरबैंक ऑनलेंडिंग रेट (एलआईबीओआर) प्लस दो प्रतिशत निर्दिष्ट मानदंड था। इसी आधार पर राज्य का रूख यह रहा है कि स्थानीय मुद्रा में विलंबित भुगतान (जैसा कि खंड 60.8 में दर्शया गया है) पर ब्याज दर को "शुन्य" या "शुन्य" माना जाना चाहिए। अपीलकर्त्ताओं द्वारा किए गए कुछ संचारों का जिक्र करते हुए , यह राज्य की स्थिति भी रही है कि अपीलकर्त्ताओं द्वारा ब्याज के दावे की छूट थी। फैसले में , न्यायाधिकरण ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि "शुन्य" या "शुन्य" "शब्दों को बोली लगाने की परिशिष्ट" के उक्त कॉलम में पढ़ा जा सकता है। सचिव , सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य बनाम जीसी राय(1992) 1एस. सी. सी. 508 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने माना कि पैसे के उपयोग से वंचित व्यक्ति जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार है , उसे मुआवजा पाने का अधिकार है और ऐसे मुआवजे को ब्याज, मुआवजा या क्षति कहा जा सकता है। लिखित संचार के रूप में अपीलकर्त्ताओं से प्राप्त दो दस्तावेजों पर राज्य द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष यह दावा करने के लिए भरोसा किया गया था कि ब्याज के लिए दावा , किसी भी घटना में , स्थानीय मुद्रा में की जाने वाली राशि के विलंबित भुगतान पर दावेदारों द्वारा माफ कर दिया गया था। इन दो दस्तावेजों में से पहला अपीलकर्त्ताओं का 14 जुलाई , 2004 का पत्र था (न्यायाधिकरण के समक्ष प्रदर्श आर 1) और अगला 3 अगस्त, 2004 का एक और लिखित संचार था (न्यायाधिकरण के समक्ष प्रदर्श सी 72)। अपीलकर्त्ताओं द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी , केरल राज्य परिवहन परियोजना को संबोधित पहला पत्र इस प्रकार हैः" प्रिय महोदया, जैसा कि उपरोक्त विषय पर चर्चा की गई है, हम पुष्टि करते हैं कि अनुबंध में विलंबित भुगतान पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए ब्याज नहीं लगेगा। दावा किया जाए।

6. अगला संचार दिनांक 3 अगस्त , 2004 को प्रत्यर्थीगण के उसी अधिकारी को संबोधित किया गया था। इस संचार का पाठ हैः प्रिय महोदय , हम डीआरबी द्वारा अनुशंसित आईपीसी 1 सामान्य मदों के खिलाफ भुगतान जारी करने के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उक्त भुगतान जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में हमें उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.7.2004 जारी करना पड़ा। आपके द्वारा जारी की गई उक्त राशि पर किसी भी ब्याज का दावा न करने की हमारी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से एक सद्भावना संकेत के रूप में माना जाएगा ताकि हमारे भविष्य के भुगतान बिना किसी देरी के हमें जारी किए जा सकें। उक्त पत्र केवल विषय दावे/आइटम तक ही सीमित है।

7. न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्त्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि 14 जुलाई , 2004 का उक्त पत्र जबर्दस्ती या दवाब के तहत जारी किया गया था। इस संबंध में उनकी दूसरी दलील यह थी कि पहले पत्र की सामग्री अंतरिम भुगतान प्रमाणत्र 1 (आईपीसी 1) के संबंध में समीक्षा बोर्ड द्वारा अनुशंसित रोकी गई राशि जारी करने तक सीमित थी। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्त्ताओं (इसके समक्ष दावेदार) के रूख को स्वीकार कर लिया। अन्य बातों के अलावा, पुरस्कार में यह कहा गयाः"माफी आवश्यक तत्व जानबुझकर ज्ञात अधिकार का त्याग है। दावेदार ने कहा है कि उक्त पत्र उनके द्वारा दवाब में दिया गया था. यह मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है। यह भी नोट किया गया है कि उक्त पत्र दिनांक 14.7.2004 (एक्स. आर 1) का उल्लेख दिनांक 29.1.05 के बचाव वक्तव्य में भी नहीं किया गया है। न ही यह मुद्दा डीआरबी के समक्ष उठाया गया है. इसीलिए प्रत्यर्थी का यह तर्क कि पत्र दिनांक 14.7.2004 (विस्तार आर 1) दावेदार के अधिकारों की छुट है, टिक नहीं पाता है। तथ्य यह है कि यह पत्र आईपीसी के संबंध में भुगतान प्राप्त करने के समय जारी किया गया था। मेरा सुझाव है कि यह दवाब के तहत दिया गया था। छूट तत्काल मामले पर लागू नहीं होती है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दावेदार उक्त पत्र जारी होने से पहले और बाद में ब्याज के भुगतान के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी , अवैतनिक राशि पर ब्याज का भुगतान अनुबंध की शर्तो और कानून के तहत देय था। पार्टियों

के साथ उचित विचार-विमर्श और चर्चा के बाद की गई डीआरबी की सिफारिश इस मामले में प्रसांगिक है। "न्यायाधिकरण ने फैसले के पैराग्राफ 1.6 से 1.8 में विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने का निर्देश दिया। इस पैराग्राफों वाले पुरस्कार का उदाहरण बाद में इस निर्णय में दिखाई देगा।

8. न्यायाधिकरण का बहुमत का विचार यह था कि अनुबंध में स्थानीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा के के संबंध में ब्याज के भुगतान का प्रावधान था। अपीलकर्त्ताओं की दलील यह है कि कोई छूट नहीं थी और किसी भी स्थिति में 14 जुलाई , 2004 और उसके बाद 3 अगस्त , 2004 का संचार केवल आईपीसी I में संबंधित था। इस रूख को न्यायाधिकरण ने मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया था। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्त्ताओं / दावेदारों के इस रूख को भी स्वीकार कर लिया था कि उन सभी राशियों के संबंध में ब्याज के दावे पर कोई छूट नहीं थी, जिसके लिए अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। उस पहलू पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को इस तथ्य से बल मिला कि अपीलकर्त्ताओं /दावेदारों ने उन दो संचारों के जारी होने के बाद भी ब्याज की मांग जारी रखी थी। ये मूलतः तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष थे।

9. पंचाट न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए राज्य के आवेदन का कायम रखते हुए यह विचार किया कि अनुबंध में स्थानीय मुद्रा घटक के संबंध में भुगतान में देरी पर ब्याज के प्रावधान शामिल नहीं किए जा सकते। चूंकि अपीलकर्त्ताओं ने रिक्त स्थान को ब्याज दर से नहीं भरा था। अपीलीय पीठ की राय में यह थी कि यदि दावेदारों का इरादा उस मद के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज के अपने अधिकार को बरकरार रखने का था , तो उन्हें बोली लगाने के लिए परिशिष्ट् में रिक्त स्थान भरना चाहिए था। उक्त उच्च न्यायालय के तर्क का एक और पहलू यह था कि उत्तरदाताओं को अपीलकर्त्ताओं की बोली को इस आधार पर स्वीकार करने के लिए राजी किया गया होगा कि अपीलकर्त्ताओं ऐसी स्थिति में

विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज का दावा नहीं करेंगे , क्योंकि यह कारक उनकी बोली को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता था।

10. यह अपील , वस्तुतः, 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही का विस्तार है। दो न्यायिक मंचों द्वारा लिए गए निर्णयों की वैधता के सवाल पर जाने के लिए , हमें पहले यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या अधिनिर्णय को चुनौती देने के आधार पर तेल प्राकृतिक गैस निगम लमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लि0 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करते हैं। सॉ पाइप्स लिमिटेड {(2003) 5 एससीसी 705}। उत्तरदाताओं का तर्क यह रहा है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का आदेश उस फैसले में उल्लिखित पेंटेंट अवैधता सिद्धांत के तहत खराब हो गया है। यह सिद्धांत सर्वजनिक नीति परीक्षण के व्यापक शीर्षक के अंतर्गत आता है, जिसे लागू करने पर एक मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द किया जा सकता है। पेटेंट अवैधता क्या होगी, इस न्यायालय ने बाद के फैसले , एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी {(2015) 3 एससीसी 49} में विस्तार से बताया है। इस प्राधिकरण के अनुसार, कोई निर्णय अमान्य कर दिया जाएगा , यदि वह देश के मूल कानून का उल्लंघन हो या मध्यस्थता अधिनियम का उल्लंघन हो। रिपोर्ट के पैराग्राफ 42.3 में (एसोसिएट बिल्डर्स के मामले में) , यह माना गया हैः 42.3 (सी) समान रूप से , पेटेंट अवैधता का तीसरा उपषीर्श वास्तव में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (3) का उल्लंघन है , जिसमें लिखा है। निम्नानुसार:

"28 विवाद के सार पर लागु नियमः- (1) (2)

(3) सभी मामलों में , मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्णय लेगा और लेन-देन पर लागू व्यापार के उपयोग को ध्यान में रखेगा। इस अंतिम अल्लंघन को एक चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि एक मध्यस्थ उचित तरीके से अनुबंध की शर्तो का अर्थ लगाता

है , तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आधार पर अधिनिर्णय को रद्द किया जा सकता है।

अनुबंध की शर्तो का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के लिए निर्णय लेना है जब तक मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है कि यह कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है।

11. अपील में उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता न्यायालय के साथ सहमति व्यक्त की और निष्कर्ष निकाला कि बोली दस्तावेज में ब्याज की दर को शामिल करने में चूक , विशिष्ट होने के लिए बोली के लिए परिशिष्ट, के परिणामस्वरूप संविदात्मक शब्द का निर्माण हुआ जो कि नहीं होगा जहां तक समझौते में निहित स्थानीय मुद्रा घटक में भुगतान का संबंध है , विलंबित भुगतान का ब्याज के लिए कोई भी दावा (खंड 60.8 के अनुसार)। हालांकि, हमारी राय में , इस आधार पर मध्यस्थता न्यायालय द्वारा फैसले में हस्तक्षेप अनुचित था। इस बिंदु पर अपीलीय न्यायालय और इससे पहले , मध्यस्थता न्यायालय का अंतर्निहित तर्क यह है कि न्यायाधिकरण ब्याज देने में संविदात्मक अवधि से आगे चला गया। जीसी रॉय(सुपरा) का मामला और इस न्यायालय के बाद के फैसले , रियायंस सेलूलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड {(2018) 9 एससीसी 266} , अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायाधिकरण के निष्कर्षो को बनाए रखने के लिए हमारे सामने भरोसा किया गया था। उत्तरदाताओं की ओर से इन निर्णयों को इस आधार पर अलग करने की मांग की गई है कि पूर्व निर्णय ब्याज लंबित मामले से संबंधित था और ये दोनों मामले मध्यस्थता अधिनियम , 1940 के तहत थे। उक्त कानून के तहत , एक मध्यस्थ के पास पूर्व निर्णय देने की शक्ति या अधिकार क्षेत्र था। ब्याज अधिनियम , 1978 के तहत, संदर्भ ब्याज के साथ-साथ पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज भी। इस तरह के क्षेत्राधिकार पर भी तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब अनुबंध की स्पष्ट शर्ते ब्याज के भुगतान को रोकती हो। एक अन्य प्राधिकरण , यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (सुपरा) (पी) लिमिटेड का हवाला देते हुए, ।{(2015) 9 एससीसी 695}, इस न्यायालय ने 1996 अधिनियम की धारा 31 (7) के तहत ब्याज अनुदान पर कानून की स्थिति पर प्रकाश डाला। ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (सुपरा) के मामले में , इस न्यायालय द्वारा यह राय दी गई है कि जब तक कि

पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो , मध्यस्थता न्यायाधिकरण उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए उचित दर पर ब्याज दे सकता है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। अधिनिर्णय की तिथि, विवाद से जो इस अपील का विषय है , समझौता होने के कारण , स्थानीय मुद्रा घटक के संबंध में विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का कोई विशेष बहिष्कार नहीं था।

12. दूसरी ओर , पक्षकारों द्वारा और उनके बीच किए गए समझौते की विशिष्ट शर्तों से अनुबंध की शर्तों के रूप में विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। जिस बात पर विशेष रूप से सहमति नहीं थी वह दर थी जिस पर इस तरह के ब्याज का भुगतान किया जाएगा। हमारी राय में , बोली के परिशिष्ट में रिक्त स्थान को धनराशि जारी करने में देरी के ब्याज के भुगतान के प्रावधान वाले खंड को रद्द करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमें नहीं लगता कि अपीलीय न्यायालय या मध्यस्थता न्यायालय ब्याज दर भरने के लिए प्रदान की गई रिक्त जगह को निर्दिष्ट न करके यह दृष्टिकोण अपनाने में सही थी। हमारा विचार है कि इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, उस मद के तहत ब्याज के भुगतान का सक्रिय बहिष्कार समझौते में शामिल किया जाना आवश्यक था। हालांकि जीसी रॉय (सुपरा) का मामला एक ऐसे विवाद में दिया गया था जिसपर 1940 का अधिनियम लागू था , इस न्यायालय के संविधान पीठ ने ब्याज अनुदान के पहलू पर कुछ सामान्य प्रस्ताव या सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस सामान्य प्रस्ताव को न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित किया गया था। रिपोर्ट के पैराग्राफ 43.1 (जीसी रॉय के मामले में) में कहा गया हैः "43. यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्यस्थ के पास लंबित ब्याज का फैसला देने की शक्ति है , और यदि हाँ तो किस सिद्धांत पर। हमें यह दोहराना चाहिए कि हम उस स्थिति में निपट रहे हैं जहाँ समझौता इस तरह के ब्याज के अनुदान का प्रावधान नहीं करता है और न ही इस तरह के अनुदान पर रोक लगाता है। दूसरे शब्दों में , हम एक ऐसे मामले में निपट रहे हैं जहाँ समझौते में ब्याज देने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में , निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं।

(i) जिस व्यक्ति को उस धन का उपयोग करने से वंचित किया गया है जिसका वह वैध रूप से हकदार है , उसे उस अभाव के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से पुकारें। इसे ब्याज , मुआवजा या हर्जाना कहा जा सकता है। यह मूल विचार उस अवधि के लिए उतना ही मान्य है जब विवाद मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, जितना मध्यस्थ द्वारा संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए है। यह धारा 34 , सिविल प्रक्रिया संहिता का सिद्धांत है और मध्यस्थ के मामले में अन्यथा मानने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है ...."

13. ब्याज देने का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि ब्याज भुगतान अनिवार्य रूप से प्रकृति से प्रतिपूरक है। लेकिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं , हमारे सामने वाले मामले , विलंबित भुगतान का ब्याज अनुबंध का ही हिस्सा था। समझौते में विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान पर कोई स्पष्ट बहिष्करण खंड शामिल नहीं था , चाहे भुगतान का घटक विदेशी मुद्रा में हो या स्थानीय मुद्रा में । हम न्यायाधिकरण के उस तर्क को स्वीकार करते हैं जिसके आधार पर उसने प्रतिवादियों की छूट की याचिका को खारिज कर दिया। यह न्यायाधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्रियों की सराहना पर तथ्य की खोज थी। अपीलीय न्यायालय और मध्यस्थता न्यायालय के निर्णयों के पीछे एक कारण यह था कि अपीलकर्त्ताओं ने बोली लगाते समय ब्याज के लिए अपने दावे छोड़ दिए थे। संक्षेप में , उत्तरदाताओं का दावा यह है कि न्यायाधिकरण संविदात्मक शर्तों से परे चला गया , और उक्त दो मंचों ने ऐसासिएट बिल्डर्स (सुपरा) के मामले में विस्तृत पेंटेट अवैधता सिद्धांत के तीसरे उपशीर्षक में निहित कानून के सिद्धांत को लागू करने की माँग की।)

14. अपील न्यायालय ने मध्यस्थता न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि बोली के परिशिष्ट में खाली भाग का अर्थ शुन्य या शुन्य होगा। हमारी राय में , यह तर्क त्रुटिपूर्ण है और समझौते की ऐसी व्याख्या वास्तव में अनुबंध की शर्तों के विपरीत और परे होगी। इस मामले में न्यायाधिकरण पहले ही सबूतों की सराहना करते हूए तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँच चुका था कि ऐसा कोई निहितार्थ नहीं था। मध्यस्थता न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की ओर से इस तरह का अभ्यास अनुबंध को फिर से लिखना होगा, जो कि अनुमति योग्य नहीं है।

न्यायाधिकरण ने छूट की याचिका खारिज कर दी और हमने उस बिंदु पर उसके तर्क को दोबारा प्रस्तुत किया है। वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में हम ऐसे तर्क को विकृत या असंभव नहीं मान सकते। इस मामले में न्यायाधिकरण एक प्रतिपूरक या न्यायसंगत उपाय के रूप में ब्याज दे सकता था , क्योंकि विलंबित भुगतान पर ब्याज भुगतान को बाहर करने या बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं था। न्यायाधिकरण ने अधिनिर्णय के उप पैराग्रफ 1.6 से 1.8 में इसकी दर निर्धारित की। अधिनिर्णय का यह भाग निर्दिष्ट करता हैः 1.6, इसलिए, यह माना जाता है कि दावेदार इंजीनियर द्वारा जारी किए गए किसी भी आईपीसी के तहत देय राशि का ब्याज के हकदार हैं या ऐसा न होने पर , दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण में दर्शाई गई राशि पर ब्याज के हकदार है। प्रमाणन के लिए इंजीनियर को और कब भुगतान नहीं किया गया था और उत्तरदाताओं द्वारा रोक दिया गया था और इस तरह के ब्याज का भुगतान दावेदारों के संबंधित मासिक विवरणों के प्रमाण के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत करने की तारीख के 42 दिनों के बाद की अवधि के लिए किया जाएगा। उसके पूर्ण भुगतान का मध्यस्थ न्यायाधिकरण आगे यह मानता है कि अवैतनिक रकम पर और उसके भुगतान में देरी की अवधि के लिए , जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तरदाताओं को दावेदारों को 1% प्रतिमाह की दर से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करना होगा , ऐसी दर प्रचलित दर का प्रतिनिधि होगी पैसे तक पहुँच से दावेदार वंचित थे। 1.7 इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्देश देता है कि प्रत्यर्थी दावेदारों को रूपये की अवैतनिक राशि का ब्याज का भुगतान करेंगे। भुगतान की देय तारीखों से लेकर ऐसी राशि के पूर्ण भुगतान की वास्तविक तारीखों तक की अवधि के लिए आईपीसी एस नंबर 2 और आईपीसी नंबर 4 के संबंध में उपरोक्त पैरा 1.6 में बताई गई दर पर 2,15,72,150/-रू.

1.8 प्रत्यर्थी दावेदारों को इंजीनियर द्वारा जारी किए गए अवैतनिक ब्याज पर ब्याज का भुगतान करेंगे या भुगतान की नियत तारीखों से पूर्ण भुगतान की वास्तविक तारीखों तक की अवधि के लिए प्रमाणन के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत किए गए दावेदारों के मासिक वितरण में बताई गई दर का भुगतार करेंगे। यहाँ ऊपर में , उत्तदाताओं को मूल राशि के भुगतान की ऐसी तारीखों से पुरस्कार की तारीख तक ऊपर दिए गए पैरा 1.7 और 1.8 के अनुसार निर्धारित ब्याज की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाता है।

15. अपीलीय न्यायालय का यह तर्क कि ऐसे रिक्त ब्याज कॉलम के परिणामस्वरूप अपीलकर्त्ताओं की बोली स्वीकार कर ली गई होगी क्योंकि उनकी बोली इस धारणा पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती थी कि अन्य बोलीदाताओं ने उस कॉलम में ब्याज के लिए दवाब डाला होगा, स्वीकार्य नहीं है हमलोगों को। हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि रिक्त स्थान को भरने में चूक से अपीलकर्त्ताओं को बोली प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली। हमें यह भी नहीं पता कि क्या अन्य बोलीदाताओं ने जगह खाली छोड़ दी थी या उसे निर्दिष्ट दर से भर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा कायम मध्यस्थता न्यायालय का दृष्टिकोण इस बिंदु पर अटकलों के तत्व से दूषित है।

16. हमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के तर्क में कोई दोष नहीं मिला कि अनुबंध में निर्दिष्ट स्थानीय मुद्रा घटक में विलंबित भुगतान के संबंध में ब्याज देने पर रोक नहीं लगाई गई थी। यह स्थिति , हमारी राय में , अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में मध्यस्थता न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई विपरीत राय है , जिसे अपीलीय मंच द्वारा बरकरार रखा गया था, साव पाइपप्स मामला (उपरोक्त) में निर्धारित अधिनिर्णय पर अतिक्रमण के लिए अनुमेय सीमाओं का उल्लंघन करता है।

17. हमारी राय में , अनुबंध पर विचार करने पर न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित और संभावित दोनों दृष्टिकोण था। हालांकि, हमारी राय है कि जिस दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है , जैसा कि अधिनिर्णय के पैराग्राफ 1.6 और 1.8 में निहित है , जिसे हमने ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है , बल्कि अत्यधिक है। चूँकि समझौता ब्याज दर के बिंदु पर मौन है , लेकिन विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है , दर तय करने की न्यायाधिकरण की राय पैराग्राफ 43.1 में निर्धारित सिद्धांत लागू करने के आधार पर होनी चाहिए थी। जीसी रॉय (सुपरा) के मामले में। उक्त सिद्धांत 1996 अधिनियम के तहत कार्यवाही में भी लागू होता है। इस सिद्धांत का मोटे तौर पर 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) में शामिल किया गया है। उपरोक्त प्रावधान में विचारित स्थिति और इस

मामले के तथ्यों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि इसमें शामिल समझौते के देरी से भुगतान पर अपीलकर्त्ताओं की ब्याज पात्रता पर चुप नहीं है , लेकिन अनुबंध में ऐसे भुगतान का प्रावधान है। केवल वह दर जिस पर ब्याज देय होगा , अनिर्दिष्ट है। हमारे विचार में , 8% की दर से साधारण ब्याज भुगतान न की गई राशि पर उचित और न्यायसंगत होगा , अन्यथा उप - अनुच्छेद 1.6 के आधार पर गणना की जाएगी। अधिनिर्णय के 1.8 तक , तनदुसार, हम अनुबंध के स्थानीय मुद्रा घटक के संबंध में विलंबित भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने के लिए अपीलकर्त्ताओं के अधिकार के बिन्दु पर इस अपील में लगाए गए केरल उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच के फैसले को रद्द कर देते हैं। परिणामस्वरूप , छठे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एर्नाकुलम का निर्णय भी अमान्य हो जाएगा। जहाँ तक समझौते के स्थानीय मुद्रा घटक के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश का संबंध है, न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय कायम रहेगा, लेकिन राशि पर ब्याज की दर की गणना पैराग्राफ 1.6, 1.7 और में निर्धारित तरीके से की जाएगी। 11.8 और प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज होगा।

18. उपरोक्त शर्तो में अपील स्वीकृत की जाती है।

19. खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत

अरविन्द कुमार पाण्डेय